

अनुदान संख्या 87 – विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 87 - DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	6212,61,00	6212,63,00	48,26,85,09
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-1385,77,91
				1328,11,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	101,00,00	86,47,75	- 14,52,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4,35,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में ₹2.00 लाख का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹ 2.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः—

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	9196.00			
.			8390.00	7856.11	-533.89
पु.	R.	-806.00			
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	612065.00			
पू.	S.	2.00	480062.00	474828.98	-5233.02
पु.	R.	-132005.00			

(I) मुख्य शीर्ष "3451" – सचिवालय – विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग" – ₹1318.52 लाख की बचत (₹9131.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण किए जाने, कोविड-19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रखरखाव कार्य में विलंब किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Science and Technology" - saving of ₹1318.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9131.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic, delay in maintenance work by Central Public Works Department and economy measures.

(II) मुख्य शीर्ष "3425" – "बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head "3425" - savings occurred under the following heads:-

(का) "भारतीय सर्वेक्षण – निदेशन और प्रशासन – भारत के महासर्वेक्षक" – ₹2187.29 लाख की बचत (₹37115.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण किए जाने, कोविड-19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने, वाहनों, डिजिटाइजरो को किराए पर लिए जाने के लिए जैम पर बोलियों के विफल होने, संविदा का समापन होने, आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत न किए जाने की वजह से हैदराबाद में विद्यालय परियोजना के लिए निधियों को जारी न किए जाने और प्रोफार्मा चालान की समय पर प्राप्ति न होने की

(A) "Survey of India - Direction and Administration - Surveyor General of India" - saving of ₹2187.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37115.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken owing the COVID-19 pandemic, failing of bids on Gem for hiring of vehicles, digitizers, termination of contract, non-release of funds for project school at Hyderabad owing to non-submission of requisite documents and

वजह से एनआरएससी से उपग्रह चित्रण की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

non-procurement of satellite Imagery from NRSC owing to non-receipt of proforma invoice in time.

(खा) “अन्य” –

(B) “Others”-

(क) “अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” –

(a) “Assistance to Other Scientific Bodies” -

(i) “विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड” – ₹24329.87 लाख की बचत (₹93715.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से चालू अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(i) “Science and Engineering Research Board” - saving of ₹24329.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹93715.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards ongoing research projects owing to COVID-19 pandemic and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) “विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण” – ₹26122.03 लाख की बचत (₹113250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ii) “Science and Technology Institutional and Human Capacity Building” - saving of ₹26122.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113250.00 lakhs) was due to less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic, cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(iii) “नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन” – ₹30008.60 लाख की बचत (₹73354.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) “Innovation Technology Development and Deployment” - saving of ₹30008.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹73354.00 lakhs);

(iv) “अनुसंधान और विकास” – ₹30932.16 लाख की बचत (₹62800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iv) “Research and Development” - saving of ₹30932.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62800.00 lakhs); and

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(क) “नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन” – ₹7630.94 लाख की बचत (₹19292.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) “विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड” – ₹1513.47 लाख की बचत (₹5285.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) “जन-जातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(क) “विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण” – ₹594.45 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन” – ₹4360.35 लाख की बचत (₹11769.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(डा) “अन्य स्कीमें – आर एंड डी उपकर के अंतर्गत रसीद के लिए भुगतान” – ₹9000.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(चा) “अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग – अनुसंधान और विकास” – ₹1263.22 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा पहली दो तिमाही में व्यय में प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई; और

(III) उपर्युक्त एक शीर्ष के अंतर्गत ₹496.54 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थी।

(a) “Innovation, Technology Development and Deployment” - saving of ₹7630.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19292.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(b) “Science and Engineering Research Board” - saving of ₹1513.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5285.00 lakhs);

(D) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Science and Technology Institutional and Human Capacity Building” - saving of ₹594.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs);

(b) “Innovation, Technology Development and Deployment” - saving of ₹4360.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11769.00 lakhs); and

(E) “Other Schemes - payment against receipt under R&D cess” - saving of ₹9000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(F) “International Cooperation - Research and Development” - saving of ₹1263.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to restriction of expenditure in first two quarters by Ministry of Finance.

(III) Under one head saving of ₹496.54 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1800.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “3425” – “अन्य – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – वैज्ञानिक स्वायत्त संस्थानों/पेशेवर निकायों को सहायता” के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1780.06 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

2. The above savings were partly (₹1800.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head “3425” - “Others - Assistance to Other Scientific Bodies - Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies”. Actual excess, however, was ₹1780.06 lakhs

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head	
मुख्य शीर्ष “5425”	Major Head “5425”
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research
मू.	O. 10100.00
पु.	R. -435.00

9665.00 8647.75 - 1017.25

(I) “भारतीय सर्वेक्षण – भवन” के अंतर्गत ₹541.99 लाख की बचत (₹3250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकार के सापेक्ष निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under “Survey of India-Building” - saving of ₹541.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3250.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by the Central Public Works Department against authorisation.

(II) “अन्य व्यय – डिजिटल मैपिंग सिस्टम” – ₹910.26 लाख की बचत (₹1850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहन की अधिप्राप्ति न किए जाने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों का उपयोग किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) “Other Expenditure - Digital Mapping System (NATMO)” - saving of ₹910.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1850.00 lakhs) was due to non-procurement of motor vehicles, non-utilisation of funds by the Central Public Works Department and economy measures.